किसानों की आत्महत्या का मुख्य कारण 'कर्ज का बोझ' ही है : डॉ. नरेंद्र जाधव

पत्रकार वार्ता में दी मुख्यमंत्री को पेश रिपोर्ट के बारे में जानकारियां

- राज्य व केंद्र सरकार के पैकेज में दीर्घकालीन योजनाओं पर अमल को प्राथमिकता नहीं
- किसानों की आत्महत्या कम हुईं परंतु उल्लेखनीय कमी नहीं हो पाई
- अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र के किसानों की आत्महत्या कम
- आत्महत्या की रोकथाम हेतु कर्जमाफी स्थायी उपाय नहीं
- खेती को फायदे का सौदा बनाने हेतु बुनियादी सुविधाओं के साथ, खेती के उत्पादन खर्च पर आधारित भाव की आवश्यकता
- पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमिवाले किसानों को 20 हजार की जगह 50 हजार रुपए की कर्जमाफी देने की जरूरत : मगर पश्चिम महाराष्ट्र के लिए नहीं

पुणे, 6 अगस्त (आ.प्र.)

'विदर्भ की खेती फायदे का सौदा नहीं होने से वहां के किसान वित्तीय दृष्टि से कमजोर हो गए, किसानों की आत्महत्या का महत्वपूर्ण कारण कर्ज का बोझ है. यह निष्कर्ष मैंने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है.' यह जानकारी पुणे विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. नरेंद्र जाधव ने आज पत्रकार-वार्ता में दी. राज्य सरकार ने किसानों की आत्महत्या की जांच हेतु पुणे विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति गठित की. इस समिति ने अपनी 96 पृष्ठों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को पांच अगस्त को पेश की. इस समय मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस रिपोर्ट पर जल्द ही अमल करेंगे. यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री के पास भी भेजेंगे.

राज्य के किसानों की आत्महत्या का अध्ययन व यथार्थ स्थिति का निरीक्षण करने के लिए कुलगुरु डॉ. नरेंद्र जाधव की एक सदस्य समिति का गठन 13 नवंबर 2007 को किया गया था. इस रिपोर्ट को छह भागों में बांटा गया है.

जिसमें खेती एवं किसानों के लिए क्या कुछ करना संभव है ? इस सवाल पर भी विचार किया गया है. संक्षेप में ये छह मुद्दे इस तरह हैं.

किसानों की आत्महत्या संबंधी यथार्थ व विश्लेषण

किसानों की आत्महत्या मुख्यतः कर्ज के बोझ के कारण हुई. कुल आत्महत्याओं में प्राकृतिक मौत का प्रमाण पांच से दस प्रतिशत है. जनसंख्या की तुलना में विदर्भ को पिछले 15 से 20 वर्षों से बैंकों द्वारा कम वित्तीय आपूर्ति की गई.

परिणामस्वरूप किसानों ने विकल्प के रूप में साहूकारों के पास जाना उचित समझा. इसके साथ महंगे बीज, खाद का प्रयोग करके भी कृषि उत्पादनों का उचित दाम नहीं मिल पाया.

प्राकृतिक आपदा के समय किसानों के पास पूरक व्यवसाय भी नहीं था.इसलिए किसानों की आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई.

किसानों की आत्महत्याओं के रोकथाम हेतु घोषित दो पैकेजों का मूल्यांकन

केंद्र व राज्य सरकार ने किसानों की आत्महत्याओं के रोकथाम हेतु क्रमशः तीन हजार 750 करोड़ रुपए का तथा एक हजार 75 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया था. इस पैकेज में दीर्घकालीन योजना की तुलना में तुरंत अमल योजना को दोयम स्थान दिया गया. इस दरम्यान इन पैकेजों से किसानों की आत्महत्याएं कम हुईं. परंतु उल्लेखनीय कमी नहीं हो पाई. वैसे दीर्घकालीन पैकेज योजना पर अमल उचित ढंग से किया जा रहा है.

कर्जमाफी व सर्वसमावेशक योजना

देश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना के रूप में कर्जमाफी का उल्लेख करना होगा. परंतु इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए कर्जमाफी स्थायी उपाय नहीं है. इस कर्जमाफी से पश्चिम महाराष्ट्र को 54 प्रतिशत, मराठवाड़ा को 24 प्रतिशत, आत्महत्या पीड़ित विदर्भ को 20 प्रतिशत लाभ हुआ. विदर्भ में कृषि ऋण लेने वाले केवल 26 प्रतिशत किसान हैं. पांच एकड़ से ज्यादा कृषि भूमिवाले किसानों को 20 हजार रुपए की कर्ज माफी देने का निर्णय लिया गया है. यह राशि 50 हजार रुपए करके उन्हें कर्ज माफी देनी चाहिए. परंतु यह योजना अकाल पीड़ित तहसीलों तक ही सीमित रखें. यह योजना पश्चिम महाराष्ट्र में लागू नहीं करनी चाहिए.

संतुलित कृषि विकास योजना

कृषि के अच्छे दिन लाने हेतु सर्व समावेशक योजना की आवश्यकता है. यह योजना कार्यान्वित करने हेत कृषि विकास समिति गठित करके कृषि उत्पादन का प्रारूप तैयार करना चाहिए. इसमें सिंचाई सुविधाएं, उत्पादन वृद्धि, फसल पद्धति आदि बातों का समावेश होना चाहिए.

संजीवनी अभियान

इस अभियान के अंतर्गत खेती को किफायती बनाने व किसानों को संरक्षण देने के संदर्भ में योजना बनाई गई है. इसके अंतर्गत रोजगार गारंटी योजना में किसानों को प्रत्यक्ष रूप से खेतों में काम दिलाकर, उन्हें बुनियादी सुविधा प्रदान करना, स्तरीय व अनुदानित बीज वितरित करना, किसानों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध कराने के संदर्भ में सतर्कता बरतना, किसानों को संपूर्ण बीमा सुरक्षा प्रदान करना आदि सिफारिशों का समावेश किया गया है.

चितन इमेज मेकर्स